UGC Approved Online Journal (Sr.no 48178, 48818)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) Impact Factor : 3.117 Peer-Reviewed Journal ISSN : 2278 – 5655
Aaarhat Multidisciplinary International Education Research Journal
{Bi-Monthly} Volume : VI Issue : V June – July 2017

आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट केन्द्रीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन करना

श्रीमती प्रीति शर्मा,
व्याख्याता,
दीपशिखा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,
सीतापुरा, जयपुर।

शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवनपर्यन्त चलती रहती है यह व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का इस प्रकार विकास करती है कि उसका सामाजिक अनुकूलन होने के साथ–साथ वैयक्तिक विकास भी हो सके। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उस राष्ट्र के लोगो को दी जाने वाली शिक्षा पर निर्भर होती है। हर बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार संविधान से प्राप्त हुआ है। बालक जब स्कूल में प्रवेश लेता है। तो उसे अपने घर के वातावरण से बिल्कुल भिन्न वातावरण मिलता है। उसे वहां समायोजित होने में थोड़ा समय लगता है। अच्छी तरह से समायोजित होने पर उसके सर्वांगीण विकास के द्वार स्वतः ही खुल जाते है। आने वाले भविष्य में अपने को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में स्थापित करने की प्रारम्भिक सीढ़ियों का निर्माण स्कूल में ही होता है। जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया जीवनपर्यन्त चलती है। उसी प्रकार समायोजन की प्रक्रिया भी जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तावना :–

''सा विधाया विमुक्तये''

अर्थात् शिक्षा वह है जिसका अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है

''ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र समस्त तन्वार्थ त्रिलोक दक्षम''

अर्थात् ज्ञान मानव का तीसरा नेत्र माना जाता है, क्योंकि ज्ञान रूपी नेत्र से ही मानव तत्वों का अवलोकन करने में सक्षम हो सकता है।

रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, ''शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सकें, उसे अपना बना सकें तथा उसे अभिव्यक्त कर सकें।''

भारत में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान

धारा 45 के अनुसार, ''राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सब बच्चों के लिए, जब तक वे14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।''

संविधान के 46वें संशोधन के अनुच्छेद 21ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इस संशोधन के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 में पास हुआ, राष्ट्रपति जी द्वारा उसे अगस्त में स्वीकार किया गया। 1 अप्रेल, 2010 को इस कानून को देश में लागू किया गया।

समस्या का औचित्य :– राइट टू एजुकेशन का पहला चरण 2013 में पूरा हो चुका है। तथा दूसरा चरण मार्च, 2015 में पूरा हो जायेगा। सरकार ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अभियान की शुरूआत बहुत नेक मकसद से की है, परन्तु यह देखना आवश्यक है कि इस अभियान के तहत प्रवेश लेने वाले बालकों/बालिकाओं के साथ अन्य विद्यार्थियों के समान ही व्यवहार हो रहा है या नहीं वे इस नये माहौल में समायोजित हो पाये या नहीं।

शोध उद्देश्य :– आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट केन्द्रीय व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाः–

1. आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट निजी विद्यालय के छात्र–छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट केन्द्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट निजी विद्यालय के छात्र व केन्द्रीय विद्यालय की छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट निजी विद्यालय की छात्राओं व केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट निजी विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय की छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट निजी विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत शोध में शून्य परिकल्पना का प्रयोग कर सर्वेक्षण विधि द्वारा 40 छात्र व 40 छात्राओं

का अध्ययन किया गया। शोध अध्ययन के लिए ''शैक्षिक समायोजन मापनी (सीमा रानी एवं डॉ. बसन्त बहादुर सिंह द्वारा निर्मित) का प्रयोग किया गया। मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी–परीक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट निजी विद्यालय के छात्र–छात्राओं के समायोजन में कोई अन्तर नहीं है। आरटीई के तहत समाविष्ट केन्द्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के समायोजन में भी कोई अन्तर नहीं है। आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट निजी विद्यालय के छात्रों व केन्द्रीय विद्यालय की छात्राओं के समायोजन में अन्तर है। निजी विद्यालय की छात्राओं व केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के समायोजन में कोई अन्तर नहीं है। निजी विद्यालय की छात्राओं व केन्द्रीय विद्यालय की छात्राओं के समायोजन में कोई अन्तर नहीं है। निजी विद्यालय के छात्रों व केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के समायोजन में कोई अन्तर नहीं है।

शोध का सीमांकन/परिसीमन :–

1. प्रस्तुत शोध कार्य को जयपुर जिले के प्राथमिक स्तर तक ही सीमित रखा गया है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में जयपुर जिले के शहरी क्षेत्र के केन्द्रीय व निजी विद्यालयों को ही लिया गया है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श के रूप में चार विद्यालयों को ही लिया गया है।
4. प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श के रूप में केवल 80 विद्यार्थियों को ही लिया गया है जिनमें 40 छात्र व 40 छात्राएँ है।
5. प्रस्तुत शोध केवल आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट केन्द्रीय व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन के अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है।
6. प्रस्तुत शोध कार्य में केवल सर्वेक्षण विधि का ही प्रयोग किया गया है।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव –

अनुसंधानकर्ता आर.टी.ई. के तहत समाविष्ट बालकों के समायोजन के साथ तनाव एवं कुण्ठा के सहसम्बन्ध पर शोध कर सकते है तथा समायोजन का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर सकते है। साथ ही आर.टी.ई. के अन्तर्गत जो कठोर कानून है जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र के अभाव में बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाता है जो कि सर्वथा अनुचित है इस पर शोध की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अस्थाना विपिन, अस्थाना निधि, ''शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक अनुसंधान'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 2010–11
2. चतुर्वेदी ममता, ''अनुसंधान विधियाँ'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा – 2011
3. मंगल डॉ. अंशु एवं अन्य, ''शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ एवं शैक्षिक, सांख्यिकी'' राध प्रकाशन मन्दिर, आगरा–2006
4. रायजादा डॉ. बी.एस., ''शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व'' जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1997
5. शर्मा डी.एल., ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा'' आर.लाल बुक डिपो, 2011
6. सिंघल अनुपमा, कुलश्रेष्ठ, एस.पी., ''शैक्षिक तकनिकी के मूल आधार'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 2011

पत्र–पत्रिकायें

1. योजना पत्रिका
2. राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका
3. शिविरा
4. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका
5. प्राईमरी शिक्षा

वेबसाइट

www.google.com
www.yahoo.com
www.education.nic
www.eric.com